आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Ministry of Women and Child Development

Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 and 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

निर्भया कोष से पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आने वाली नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित आश्रय, इलाज, कानूनी मदद, काउंसलिंग, पढ़ाई में सहायता, मुआवजा और स्वास्थ्य बीमा देती है।

क्या मिल सकता है

मामला दर्ज होने के दिन से बच्ची के 18 साल की होने तक मदद मिलती है, और 23 साल तक आफ्टरकेयर सहायता मिल सकती है। इसमें सुरक्षित आश्रय, इलाज और स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त कानूनी मदद, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, पढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायता, मुआवजा और बीमा कवर, PM-JAY में साल का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर, और जिला स्तर पर अचानक आने वाले खर्चों के लिए फ्लेक्सी फंड शामिल हैं।

किसके लिए है

पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376-E के तहत आने वाली नाबालिग बच्चियां, खासकर वे जो गर्भवती हैं या यौन हमले या शोषण का शिकार हुई हैं।

मुख्य शर्तें

- पीड़िता नाबालिग बच्ची हो और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 या 6, या भारतीय दंड संहिता की धारा 376 या 376-E के तहत आती हो।
- मामला दर्ज होने के समय से बच्ची के 18 साल की होने तक सहायता मिलती है, और 23 साल तक आफ्टरकेयर मिल सकता है।

आवेदन कैसे करें

1. पीड़िता या पीड़िता को जानने वाला कोई भी व्यक्ति तय हेल्पलाइन या महिला हेल्पलाइन पर फोन कर सकता है।
2. आप जिले के जिला बाल संरक्षण अधिकारी या बाल कल्याण समिति के पास भी जा सकते हैं।
3. मुफ्त कानूनी मदद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकीलों के पैनल से मिलती है, और योजना की दूसरी मदद में जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहायता कर सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://wcd.gov.in/offerings/scheme-for-care-and-support-to-victims-under-section-4-6-of-the-protection-of-children-from-sexual-offences-pocso-act-2012
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/pocso-care-support-victims-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।